

4-3/6

पत्रकली चेरा हुई। वादीगण की ओर से
 वकील श्री रत्नराज पारीक ने कहा कि
 करने हेतु आदेश प्रस्तुत किए जावें।
 जब की ओर से उपायुक्त अधिवक्ता
 श्री नन्दलाल चावल ने हिदायत पेंची नहीं
 होने व Note Press में एक काउन्टर बंद
 त्सारित करने का कहना है। पत्रकली
 का अनलोडन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत
 बाँट में प्रतिवादीगण की ओर से काउन्टर
 बंद प्रस्तुत किया हुआ है। प्रतिवादीगण
 की ओर से हिदायत पेंची नहीं होने व
 Note Press में त्सारित करने निवेदन करने
 पर काउन्टर बंद नहीं है। Note Press
 में त्सारित किया जाता है। एवं वादीगण
 द्वारा प्रस्तुत किया है आदेश बंद
 किया दिव जाने की इजाजत दी जाती है।
 पत्रकली में एक भाग काई सर्प नहीं नहीं
 की जाती है अतः पत्रकली फँसल थुमार
 होकर सम्भर है कह हो व त्सारित पत्रकली
 हो।

जाय
 उप खण्ड अधिकारी
 दौतारामगढ़

~~पदस्थान का~~
~~वादीगण~~
 श्री नन्दलाल चावल
 श्री रत्नराज पारीक
 श्री नन्दलाल चावल
 श्री रत्नराज पारीक

प्रतिवादीगण की
 ओर से हिदायत
 पेंची नहीं है
 अतः Note Press में त्सारित
 करे